केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000

(2000 का अधिनियम संख्यांक 54)

[27 दिसम्बर, 2000]

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण तथा रेलक्रासिंगों पर सुरक्षा में सुधार के लिए 1988 में पारित संसद् के संकल्प द्वारा शासित विद्यमान केन्द्रीय सड़क निधि को कानूनी प्रास्थिति प्रदान करने और इन प्रयोजनों के लिए पेट्रोल के रूप में सामान्यतः ज्ञात मोटर स्पिरिट, उच्च गति डीजल तेल पर उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क का उद्ग्रहण तथा संग्रहण करने और उससे संबंधित अन्य विषयों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्यावनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) इस अधिनियम में, जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, यह 1 नवम्बर, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "नियत दिन" से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन निधि स्थापित की गई है;

(ख) "उपकर" से, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पेट्रोल के रूप में सामान्यतः ज्ञात मोटर स्पिरिट और उच्च गति डीजल तेल पर अधिरोपित और संगृहीत उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क की प्रकृति का शुल्क अभिप्रेत है;

(ग) "निधि" से, धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्रीय सड़क निधि अभिप्रेत है;

(घ) "राष्ट्रीय राजमार्ग" से, वे राजमार्ग अभिप्रेत हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं या कोई अन्य राजमार्ग जो उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित हैं;

(ङ) "भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण" से, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "विहित" से, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ।

अध्याय 2

केन्द्रीय सड़क निधि

3. उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण—(1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक मद पर, जो भारत में उत्पादित या आयातित होती है, और—

(क) किसी परिष्करणी या कारखाने या किसी निकाय से हटाई जाती है; या

(ख) उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा ऐसी मदें उत्पादित या आयातित की जाती हैं, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर दी जाती हैं,

उन दरों पर जो अनुसूची के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उपवर्णित दरों से अधिक न हो, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विहित करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपकर के रूप में उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जाएगा :

परन्तु जब तक केन्द्रीय सरकार पेट्रोल और उच्च गति डीजल तेल की (जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदें हैं) बाबत उपकर की दर ऐसी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट नहीं कर देती है तब तक इस उपधारा के अधीन पेट्रोल और उच्च गति डीजल तेल पर उपकर, एक रुपया प्रति लीटर की दर से उद्ग्रहीत और संगृहीत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की, यथास्थिति, धारा 103 की उपधारा (1) और धारा 111 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत पेट्रोल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क और वित्त अधिनियम, 1999 (1999 का 27) की, यथास्थिति, धारा 116 की उपधारा (1) और धारा 133 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत उच्च गति डीजल तेल पर अतिरिक्त सीमाशुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इसके उद्ग्रहण की तारीख से, एक उपकर समझा जाएगा और उसके आगमों को निधि में जमा कर दिया जाएगा ।

(2) किसी भी मद पर उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय प्रत्येक उपकर ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा ऐसी मद का उत्पादन किया गया है, संदेय होगा और आयातों की दशा में, उपकर, इस प्रकार आयातित और अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों पर अधिरोपित और संगृहीत किया जाएगा ।

(3) अनुसूची में विनिर्दिष्ट मदों पर उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उन मदों पर उद्ग्रहणीय उपकर या शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिनके अन्तर्गत शुल्कों के प्रतिदाय और उनसे छूट से संबंधित उपबंध भी सम्मिलित हैं, यथाशक्य इस धारा के अधीन उद्ग्रहणीय उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में, लागू होंगे और इस प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के उपबंधों का, ऐसा प्रभाव होगा मानो पूर्वोक्त अधिनियमों में अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी मदों पर उपकर के उद्ग्रहण के लिए उपबंध किया गया हो ।

4. भारत की संचित निधि में उपकर का जमा किया जाना—धारा 3 के अधीन उद्गृहीत किए गए उपकरों के आगम पहले भारत की संचित निधि में जमा किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार, यदि संसद् इस निमित्त विधि द्वारा किए गए विनियोग द्वारा, ऐसा उपबंध करे, ऐसे आगम संग्रहण के खर्चों की कटौती के पश्चात् इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से उपयोग किए जाने के लिए निधि में समय-समय पर, जमा कर सकेगी ।

5. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और ऋण—केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए समुचित विनियोग के पश्चात् निधि में, ऐसी धनराशियां जैसी कि केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे, अनुदान या ऋणों के माध्यम से जमा कर सकेगी ।

6. केन्द्रीय सड़क निधि की स्थापना—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, "केन्द्रीय सड़क निधि" नामक एक निधि स्थापित की जाएगी ।

(2) निधि, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन होगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे,—

(क) धारा 4 या धारा 5 के अधीन संदत्त की गई कोई धनराशियां;

(ख) उपकर का ऐसा अव्ययित भाग जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के प्रयोजनों के लिए पहले से ही उद्गृहीत किया जा रहा है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कृत्यों का पालन करने या इस अधिनियम के प्रशासन में वसूल की गई राशियां, यदि कोई हों;

(घ) राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान की गई कोई निधि ।

(3) निधि में जमा का अतिशेष वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होगा ।

7. निधि का उपयोग—निधि का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाएगा,—

(i) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और अनुरक्षण;

(ii) ग्रामीण सड़कों का विकास;

(iii) अन्य राज्य सड़कों का विकास और अनुरक्षण, जिसके अंतर्गत अंतरराज्यिक और आर्थिक रूप से महत्व की सड़कें भी हैं;

(iv) पुल के साधन से रेलपथ के नीचे या ऊपर सड़क का सन्निर्माण और ऐसी रेल-सड़क क्रासिंगों पर, जहां कोई व्यक्ति तैनात नहीं है, सुरक्षा संकर्म का परिनिर्माण; और

(v) ऐसी परियोजनाओं की बाबत संवितरण जो विहित की जाएं ।

8. लेखा और संपरीक्षा—(1) केन्द्रीय सरकार के संबंधित विभाग उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेंगे और लाभ और हानि लेखा सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेंगे और निधि के अपने अंश के आबंटनों की बाबत ऐसे प्ररूप में तुलनपत्र तैयार करेंगे जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(2) निधि के लेखे की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएगी ।

अध्याय 3

केन्द्रीय सड़क निधि का प्रबंध

9. निधि का प्रशासन करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार को निधि का प्रशासन करने की शक्ति होगी और वह,—

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों तथा एक्सप्रेस मार्गों की परियोजनाओं में विनिधान के संबंध में, ऐसे विनिश्चय करेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे;

(ख) ऐसे उपाय करेगी जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आवश्यक निधि जुटाने के लिए आवश्यक हों;

(ग) ऐसी राशियों का आबंटन और संवितरण करेगी जिन्हें वह निम्नलिखित के विकास और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी संबद्ध विभागों के लिए आवश्यक समझे,—

(i) राष्ट्रीय राजमार्ग;

(ii) ग्रामीण सड़कें;

(iii) राज्य सड़कें; और

(iv) पुल के साधन से रेल पथ के नीचे या ऊपर सड़क सन्निर्माण और ऐसी रेल सड़क लेवल क्रासिंगों पर, जहां कोई व्यक्ति तैनात नहीं है, उपयुक्त सुरक्षा संकर्म का परिनिर्माण ।

10. केन्द्रीय सरकार के कृत्य—केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगी—

(i) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटित निधि के अंश का प्रशासन और प्रबंध;

(ii) निधि से आबंटित सभी राशियों का समन्वय और उनका पूर्ण रूप से तथा समय से उपयोग;

(iii) अंतरराज्यिक और आर्थिक रूप से महत्व की राज्य सड़कों के लिए ऐसी रीति में स्कीमों की मंजूरी, जो विहित की जाएं;

(iv) ऐसा मानदंड तैयार करना जिसके आधार पर अंतरराज्यिक और आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों की विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को अनुमोदित किया जाएगा तथा राज्य सड़कों के अंश से उनको वित्तपोषित किया जाएगा;

(v) विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए राज्यों को निधियां जारी करना और ऐसी परियोजनाओं और उन पर उपगत व्यय को मानीटर करना;

(vi) ऐसी परियोजनाओं के लिए, जिनका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वयन किया जाना अपेक्षित है और उन अन्य परियोजनाओं के लिए भी, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए अपेक्षित हैं, निधियों के आबंटन के लिए मानदंड तैयार करना;

(vii) संविधान की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के लिए निधियों के अंश का आबंटन;

(viii) निम्नलिखित का आबंटन—

(क) ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए उच्च गति डीजल तेल पर उपकर का पचास प्रतिशत ऐसी रीति में जो विहित की जाए; और

(ख) उच्च गति डीजल तेल पर उपकर के पचास प्रतिशत की अतिशेष रकम तथा पेट्रोल पर संगृहीत समस्त उपकर का निम्नलिखित रीति से:—

(i) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए ऐसी राशि के साढ़े सतावन प्रतिशत के बराबर रकम;

(ii) पुल के साधन के रेलपथ के नीचे या ऊपर सड़क सन्निर्माण और ऐसी रेल सड़क क्रासिंग पर, जहां कोई व्यक्ति तैनात नहीं है, सुरक्षा संकर्म के परिनिर्माण के लिए साढ़े बारह प्रतिशत के बराबर रकम; और

(iii) राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के विकास और अनुरक्षण पर अतिशेष तीस प्रतिशत और इस राशि में से दस प्रतिशत, अर्थात् राज्य सड़कों के कुल अंश का तीन प्रतिशत, केन्द्रीय सरकार द्वारा अंतरराज्यिक और आर्थिक महत्व की राज्य सड़क स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को आबंटन के लिए आरक्षित रख लिया जाएगा जिसका अनुमोदन इस धारा के खंड (iii) और खंड (iv) के निबंधनों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

11. निधि के राज्य के अंश का प्रशासन—(1) धारा 10 के खंड (viii) के उपखंड (ख) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए खर्च की जाने वाली निधि का अंश, अंतरराज्यिक और आर्थिक महत्व की राज्य सड़क स्कीमों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आरक्षित रखी गई निधि की कटौती करने के पश्चात्, ऐसी रीति से विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को आबंटित किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाए ।

(2) विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में व्यय के लिए आबंटित निधि का भाग, केन्द्रीय सरकार द्वारा तब तक प्रतिधारित किया जाएगा जब तक यह व्यय के लिए वास्तव में अपेक्षित न हो ।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि कोई राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन किसी समय—

(क) उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर मोटर यानों के विनियमन और नियंत्रण के लिए ऐसे कदम उठाने में असफल रहा है जिनकी केन्द्रीय सरकार सिफारिश करे; या

(ख) राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर व्यय के लिए, यथास्थिति, आबंटित या पुनः आबंटित निधि के किसी भाग के उपयोग में उसने युक्तियुक्त कारण के बिना विलंब किया है,

तो केन्द्रीय सरकार ऐसी राशि को समस्त रूप में या भागरूप में पुनः ग्रहण कर सकेगी जो उसने उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में व्यय के लिए किसी भी समय रखी थी ।

(4) यथापूर्वोक्त, किसी राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के लेखा से केन्द्रीय सरकार द्वारा पुनः ग्रहण की गई सभी राशियां, व्यतिक्रमी राज्य और राज्य सरकारों तथा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के प्रत्यय लेखाओं के बीच, उस वित्तीय वर्ष से पूर्वगामी वर्ष के लिए जिसमें ऐसा पुनः आबंटन किया गया है, मूल आबंटन के अनुपात में पुनः आबंटित की जाएंगी ।

(5) किसी आबंटन की बाबत निधि के जमा का अतिशेष, वित्तीय वर्ष के अंत में व्यपगत नहीं होगा ।

12. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) वे परियोजनाएं विनिर्दिष्ट करना जिनकी बाबत धारा 7 के अधीन निधियां संवितरित की जा सकेंगी;

(ख) वह रीति जिसमें लेखा रखा जाएगा और लेखाओं के वार्षिक विवरण तैयार किए जा सकेंगे जिसमें धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र सम्मिलित है;

(ग) वह रीति जिसमें अंतरराज्यिक और आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए स्कीमों का धारा 10 के अधीन बनाया जाना और मंजूर किया जाना;

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिए नियम बनाए जाने हैं या विहित किए जा सकेंगे ।

13. इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना—इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

14. विद्यमान केन्द्रीय सड़क निधि से संबंधित उपबंध—नियत दिन से, तारीख 13 मई, 1988 के संसदीय संकल्प द्वारा शासित केन्द्रीय सड़क निधि (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् विद्यमान निधि कहा गया है); इस अधिनियम के अधीन स्थापित की गई निधि समझी जाएगी और,—

(क) विद्यमान निधि के अधीन राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य सड़कों के विकास और अनुरक्षण से संबंधित सभी स्कीमें जहां तक ऐसी स्कीमों का संबंध इस अधिनियम के अधीन स्कीमों से है, इस अधिनियम के अधीन मंजूर की जाने वाली स्कीम समझी जाएंगी;

(ख) विद्यमान निधि के अधीन उद्भूत सभी निधियां जिसके अंतर्गत आस्तियां और दायित्व भी हैं, इस अधिनियम के अधीन स्थापित निधि को अंतरित की जाएंगी ।

15. निरसन और व्यावृत्ति—(1) केन्द्रीय सड़क निधि अध्यादेश, 2000 (2000 का अध्यादेश सं० 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

अनुसूची

(धारा 3 देखिए)

क्रम सं०	मद का नाम	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)
1.	सामान्य रूप में पेट्रोल के नाम से ज्ञात मोटर स्पिरिट	एक रुपया प्रति लीटर
2.	उच्च गति डीजल तेल	एक रुपया प्रति लीटर